FORM No. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

सरकार बनाम कमल

किस्म मुकदमा 136 L.R नं. 81 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/8/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी हुई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 21/8/25 को पेश हो।	
21/8/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम कोटड़ी में नामान्तरण संख्या 245 बेचान द्वारा खाते में दर्ज खसरा सं0 287 भूमि का नवीन खसरा नं0 विभाजन द्वारा 389/287 रकबा 0.0477 है0 बना था। उक्त खसरे की तरमीम दक्षिणी दिशा में संलग्न नजरी नक्शे अनुसार की जानी थी। परन्तु सेग्रीगेशन के समय उक्त खसरा नंबर की तरमीम दक्षिण–पश्चिमी दिशा में दर्ज हो गयी है। जिसे दुरूस्त किया जाना है। उक्त प्रविष्टियों को दुरूस्त करने के आदेश करने की क्षेत्राधिकारिता श्रीमान न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावें। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि ग्राम कोटड़ी में नामान्तरण संख्या 245 बेचान द्वारा खाते में दर्ज खसरा सं0 287 भूमि का नवीन खसरा नं0 विभाजन द्वारा 389/287 रकबा 0.0477 है0 बना था। उक्त खसरे की तरमीम दक्षिणी दिशा में संलग्न नजरी नक्शे अनुसार की जानी थी। परन्तु सेग्रीगेशन के समय उक्त खसरा नंबर की तरमीम दक्षिण–पश्चिमी दिशा में दर्ज हो गयी है। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि खसरा नं0 389/287 रकबा 0.0477 है0 की तरमीम दक्षिणी दिशा में की जानी थी परन्तु सेग्रीगेशन के समय उक्त खसरा नं0 की तरमीम दक्षिण पश्चिमी दिशा में दर्ज हो गयी है जिसे दुरूस्त किया जाना है। चूंकि खसरा नं0 389/287 की तरमीम दक्षिणी दिशा में जानी थी एवं उक्त खसरा नं0 की तरमीम से संबधित त्रुटि सेग्रीगेशन के समय हुई जिस कारण से शुद्धि किया गया उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर खसरा नं0 389/287 रकबा 0.0477 है0 की तरमीम दक्षिणी दिशा में करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 21/8/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। गजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी कोटा	